

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
प्रशासन

सं.16/78/2023-Admn./E.Office-170027

दिनांक:18/11/2025

कार्यालय ज्ञापन

मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस (Samvidhan Diwas) मनाया जाता है।

परिषद् के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस वर्ष भी यह निर्णय लिया गया है कि "प्रस्तावना वाचन (Read the Preamble)" गतिविधि का आयोजन दिनांक 26.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे ICMR मुख्यालय, नई दिल्ली स्थित सम्मेलन कक्ष (कक्ष संख्या 301), द्वितीय तल में किया जाएगा।

सभी ICMR अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित होकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं संकल्प ग्रहण करें।

परिषद् के सभी संस्थान/केन्द्र भी उक्त कार्यक्रम में VC लिंक के माध्यम से सम्मिलित होंगे।

विषय: संविधान दिवस समारोह के संबंध में

कार्यक्रम: 26 नवंबर, 2025 प्रातः 11:00 बजे मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली

Join Zoom from PC, Mac, iOS or Android:

<https://echo.zoom.us/j/87395124587>

Meeting ID: 873 9512 4587

Digitally signed by

Jaibir Singh

Date: 19-11-2025

09:44:45 (जायबोर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

1. महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. सभी ICMR संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी
3. परिषद् के सभी प्रभाग प्रमुख
4. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक
5. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा एवं स्थापना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी
6. ICMR मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
7. डॉ. एम.एस. चालगा, वैज्ञानिक-डी - कृपया इसे ICMR वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan



मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

D.O. No. 701/2/2/2022-CA.V/CA.III

11th November, 2025

Dear Secretary,

As you are aware, 26th November is celebrated as Constitution Day to commemorate the adoption of the Constitution of India. Every year, a number of activities aimed at highlighting and reiterating the values and principles enshrined in the Constitution are organized as part of the celebrations.

2. An important part of the celebrations is the reading of the Preamble to the Constitution and reaffirming our commitment to uphold its ideology. Like previous years, it is requested that all offices of the Central Government, Attached/ Subordinate Offices, Autonomous Bodies, Organizations, Institutions including Educational Institutions etc. may organize reading of the Preamble at 11:00 A.M. on 26th November, 2025 at their respective offices/ locations.

3. Other activities including talks/ webinars on constitutional values and fundamentals of the Indian Constitution may also be organized. Citizens are also encouraged to take part in online 'Read the Preamble' activity.

4. I would request you to kindly take suitable actions for the celebration of the Constitution Day.

With best wishes,

Yours sincerely,


(T. V. Somanathan)

All Secretaries to the Government of India

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न,
समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला
सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **'[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the **²[unity and integrity of the Nation]**;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)